न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 03 / 2022
सुरेश कुमार, एडवोकेट, कोर्ट परिसर, झुंझुनूं जरिये माफी मन्दिर श्री महादेव जी आदर्श नगर बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।

— — प्रार्थी

बनाम

1. श्याम सिंह पुत्र सोहनलाल, जाति माली, निवासी आदर्श नगर बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. ललिता पत्नि धमेन्द्र, जाति माली, निवासी आदर्श नगर बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. सहिल पुत्र धमेन्द्र, जाति माली, निवासी आदर्श नगर बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. तँमन्ना पुत्री धमेन्द्र, जाति माली, निवासी आदर्श नगर बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. संतोष पत्नि शीशराम, जाति माली, निवासी आदर्श नगर बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. विवेक कुमार पुत्र शीशराम, जाति माली, निवासी आदर्श नगर बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. प्रतीक पुत्र शीशराम, जाति माली, निवासी आदर्श नगर बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा प्रबन्धक, बगड तहसील व जिला झुंझुनूं।

— अप्रार्थीगण

— —

प्रार्थना पत्र (रेफरेन्स) अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

— —

उपस्थितः—

1. श्री विक्रम ओला, एडवोकेट— प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट— अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 28.11.2022

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 की धारा 232 एवं राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र श्रीमान जी की सेवामें सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी माफी मन्दिर की होने से सास्वत नाबालिग है तथा द्वारा आम नागरिक संरक्षक की दृष्टि से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया जा रहा है। कस्बा बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं स्थित भूमि के गत खसरा [illegible] रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा रहे तथा हाल खसरा नम्बर 269 / 159 रकबा 0.4666 है0, हाल खसरा [illegible] / 159 रकबा 0.4667 है0, हाल खसरा नम्बर 272 / 271 रकबा 0.1225 है0, हाल [illegible] रकबा 0.2462 है0, हाल खसरा नम्बर 270 / 267 रकबा 0.0980 है0 कुल खसरा 5 कुल रकबा 140 हैक्टर रहे है। मद संख्या 2 में अंकित विवादित भूमि की खातेदारी [illegible] में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड [illegible] नियम विरुद्ध तरीके से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल कर तथा राजस्व अधिकारियो से मिलकर [illegible]रूप दर्ज की गई है। उक्त विवादित आराजी संवत् 2012 से 2020 में माफी मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

बउहतमाम पुजारी गणतपी गिरी चेला भजन गिरी कौम साधु के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। तब से उक्त भूमि की काश्त माफी मन्दिर के नाम से चली आ रही थी। इससे साफ जाहिर है कि विवादित आराजी प्रारम्भ से माफी मन्दिर के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी आधार गैर कानूनी रूप से विवादित आराजी पर कब्जा कर अपने नाम से खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया है जो काबिले खारिज है। विवादित आराजी किन आदेशों से अप्रार्थीगण के पूर्वजो की खातेदारी में दर्ज हुई इसका अंकन भी राजस्व रिकार्ड में उपलब्ध नही है। चूंकि भूमि माफी मन्दिर की है तो वह प्रारम्भ से ही प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसकी खातेदारी निजी व्यक्ति के नाम दर्ज रिकार्ड नही की जा सकती है। अप्रार्थीगण धनवान तथा राजनैतिक पहुंच रखने वाले व्यक्ति है जिन्होने बाला बाला प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि को अपनी निजी खातेदारी में दर्ज करवा लिया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 (भूमियां जिनमें खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होंगे) के बिन्दु संख्या 6 में साफ अंकित किया गया है कि किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य के लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि में निजी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होगे। उक्त धारा 16 के अनुसार विवादित आराजी की बाबत किसी भी प्रकार के आंवटन/नियमन आदेश प्रारम्भ से शून्य (Ab initio void) है। ऐसे मे जिस भूमि का किसी को आंवटन नही किया जा सके ऐसी भूमि किसी का निजी व्यक्ति द्वारा खोतदारी ग्रहण कर लेना कानूनन गलत है। अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज रूप से प्राप्त की गई उक्त विवादित आराजी का गलत इस्तमाल कर कानून विरूद्ध लाभ प्राप्त किया है, जिसमे वह दोषी है। वर्णित भूमि माफी मन्दिर की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है जो बिना किसी कारण व आदेश के अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुई है जो गलत है। उक्त विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना तहसीलदार का कर्तव्य है। राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन की आड में खातेदार उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अंकित विवादित आराजी की खातेदारी अप्रार्थीगण की खाते से हटाई जाकर माफी मन्दिर महादेव जी के नाम से दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी माफी मन्दिर की होने से सास्वत नाबालिग है तथा द्वारा आम नागरिक संरक्षक की दृष्टि से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया जा रहा है। कस्बा बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं स्थित भूमि के गत खसरा [illegible] मी० रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा रहे तथा हाल खसरा नम्बर 269/159 रकबा 0.4666 है0, हाल खसरा [illegible]/159 रकबा 0.4667 है0, हाल खसरा नम्बर 272/271 रकबा 0.1225 है0, हाल खसरा [illegible] 0.2462 है0, हाल खसरा नम्बर 270/267 रकबा 0.0980 है0 कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.40 हैक्टर रहे है। मद संख्या 2 में अंकित विवादित भूमि की खातेदारी [illegible] नाम से दर्ज रिकार्ड है जो नियम विरूद्ध तरीके से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल कर तथा राजस्व अधिकारियो से मिलकर गलत रूप दर्ज की गई है। उक्त विवादित आराजी संवत् 2012 से 2020 में माफी मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

बउहतमाम पुजारी गणतपी गिरी चेला भजन गिरी कौम साधु के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। तब से उक्त भूमि की काश्त माफी मन्दिर के नाम से चली आ रही थी। इससे साफ जाहिर है कि विवादित आराजी प्रारम्भ से माफी मन्दिर के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी आधार गैर कानूनी रूप से विवादित आराजी पर कब्जा कर अपने नाम से खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया है जो काबिले खारिज है। विवादित आराजी किन आदेशों से अप्रार्थीगण के पूर्वजो की खातेदारी में दर्ज हुई इसका अंकन भी राजस्व रिकार्ड में उपलब्ध नही है। चूंकि भूमि माफी मन्दिर की है तो वह प्रारम्भ से ही प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसकी खातेदारी निजी व्यक्ति के नाम दर्ज रिकार्ड नही की जा सकती है। अप्रार्थीगण धनवान तथा राजनैतिक पहुंच रखने वाले व्यक्ति है जिन्होने बाला बाला प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि को अपनी निजी खातेदारी में दर्ज करवा लिया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 (भूमियां जिनमें खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होंगे) के बिन्दु संख्या 6 में साफ अंकित किया गया है कि किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य के लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि में निजी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होगे। उक्त धारा 16 के अनुसार विवादित आराजी की बाबत किसी भी प्रकार के आंवटन/नियमन आदेश प्रारम्भ से शून्य (Ab initio void) है। ऐसे मे जिस भूमि का किसी को आंवटन नही किया जा सके ऐसी भूमि किसी का निजी व्यक्ति द्वारा खोतदारी ग्रहण कर लेना कानूनन गलत है। अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज रूप से प्राप्त की गई उक्त विवादित आराजी का गलत इस्तमाल कर कानून विरूद्ध लाभ प्राप्त किया है, जिसमे वह दोषी है। वर्णित भूमि माफी मन्दिर की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है जो बिना किसी कारण व आदेश के अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुई है जो गलत है। उक्त विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना तहसीलदार का कर्तव्य है। राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन की आड में खातेदार उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अंकित विवादित आराजी की खातेदारी अप्रार्थीगण की खाते से हटाई जाकर माफी मन्दिर महादेव जी के नाम से दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थीगण ने राजकीय अभिभाषक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि संवत् 2012 की जमाबन्दी मे जैर मन्दिर श्री महादेवजी वाके सिकमी झुंझुनूं बअहतमाम पुजारी गनपत तिलोका पुत्र नाथू कौम गौर चेला भजनगीर कौम गुसाई माली अंकित है जिससे जाहिर है कि विवादित भूमि की खुदकाश्त अप्राथीगण की रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने से पूर्व से ही अप्राथीगण [illegible] के रूप मे काबिज है। विवादित भूमि मन्दिर की खुद काश्त की भूमि नही है। मुझे [illegible] खातेदारी प्रदान की गई है। उक्त रेफरेन्स निजी व्यक्ति ने पेश किया जो विधि विरूद्ध है। [illegible] दार ही पेश कर सकता है। रेफरेन्स काफी समय पेश किया [illegible] अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 16:43:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि रेफरेन्स पेश करने के लिए कोई मियाद नही है। माननीय न्यायालय आज्ञा दे तो उक्त रेफरेन्स तहसीलदार के मार्फत पेश किया जा सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम कस्बा बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं स्थित भूमि के गत खसरा नम्बर 86/4 मी0 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा रहे तथा हाल खसरा नम्बर 269/159 रकबा 0.4666 है0, हाल खसरा नम्बर 268/159 रकबा 0.4667 है0, हाल खसरा नम्बर 272/271 रकबा 0.1225 है0, हाल खसरा नम्बर 273/271 रकबा 0.2462 है0, हाल खसरा नम्बर 270/267 रकबा 0.0980 है0 कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.40 हैक्टर रहे है की खातेदारी संवत् 2012 से संवत् 2020 तक माफी मन्दिर श्री महादेवजी वाके देह बउहतमाम पुजारी गणपती गिरी चेला भजन गिरी कौम साधु के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। विवादित भूमि माफी मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसके खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को नही दिये जा सकते है। चूंकि रेफरेन्स तहसीलदार के अलावा मंदिर हित पुजारी या अन्य कोई भी व्यक्ति पेश कर सकता है। मन्दिर हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं। अतः ग्राम कस्बा बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं स्थित भूमि के गत खसरा नम्बर 86/4 मी0 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा रहे तथा हाल खसरा नम्बर 269/159 रकबा 0.4666 है0, हाल खसरा नम्बर 268/159 रकबा 0.4667 है0, हाल खसरा नम्बर 272/271 रकबा 0.1225 है0, हाल खसरा नम्बर 273/271 रकबा 0.2462 है0, हाल खसरा नम्बर 270/267 रकबा 0.0980 है0 कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.40 हैक्टर रहे है की खातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि ग्राम कस्बा बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं स्थित भूमि के गत खसरा नम्बर 86/4 मी0 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा रहे तथा हाल खसरा नम्बर 269/159 रकबा 0.4666 है0, हाल खसरा नम्बर 268/159 रकबा 0.4667 है0, हाल खसरा नम्बर 272/271 रकबा 0.1225 है0, हाल खसरा नम्बर 273/271 रकबा 0.2462 है0, हाल खसरा नम्बर 270/267 रकबा 0.0980 है0 कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.40 हैक्टर रहे है की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से खारिज फरमाई जाकर माफी मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:30 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुन्झुनू